मीडिया सेल, गृह विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की पूर्ण पीठ 9 से 11 अगस्त तक लखनऊ में

प्रदेश के अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की शिकायतों व समस्याओं की आयोग करेगा जनसुनवाई

लखनऊः 8 अगस्त, 2017

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की पूर्ण पीठ कल 9 अगस्त से 11 अगस्त तक तीन दिन योजना भवन, लखनऊ में बैठक कर उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की शिकायतों व समस्याओं की जनसुनवाई करेगी। आयोग द्वारा लगभग 250 मामलों की सूची तैयार की गयी है, जिनकी सुनवाई लखनऊ बैठक में की जानी है। इनमे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, नगर विकास, कारागार एवं पुलिस आदि विभागों से संबंधित मामलो पर आयोग द्वारा जनसुनवाई की जायेगी।

प्रमुख सचिव, गृह श्री अरविन्द कुमार ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि 9 अगस्त को प्रातः 10:00 बजे से 10:30 बजे तक योजना भवन में उद्घाटन सत्र के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निर्धारित विभिन्न मामलों की सुनवाई की जायेगी। अगले दिन प्रातः 10:00 से आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा सुनवाई की जायेगी।

श्री अरविन्द कुमार ने बताया कि तीसरे दिन 11 अगस्त को प्रातः 10:00 बजे से स्वयं सेवी संगठनों के साथ आयोग बैठक निर्धारित की गई है। इसके बाद प्रातः 11.30 से 12.30 बजे तक प्रदेश के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोग के साथ सम्पन्न होगी। तदोपरान्त पूर्वाह्न 12:45 से 1:15 बजे तक आयोग द्वारा मीडिया ब्रीफिंग का कार्यक्रम भी निश्चित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पूर्ण पीठ मे अध्यक्ष व चार सदस्यों सहित कुल 25 अधिकारियों व कर्मचारियों का दल लखनऊ भ्रमण प्रस्तावित है। यह भी उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रदेश निवासी वह व्यक्ति जिनका लोक सेवक के द्वारा उत्पीड़न या उत्पीड़न रोकने में की गयी उपेक्षा की शिकायत हो, से जनसुनवाई हेतु शिकायते पूर्व में आमंत्रित की गई थी।

———————